हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	उनवान सरकार बनाम ....
	मुकदमा नं० .... निर्णय दि0............
23.11.20	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप0 DW1, DW.. [illegible] के शपथपत्र पर वकील वादी द्वारा जिरह [illegible] 14.12.20 को पेश बाबत बहस द्वारा दि0 14.12.20 [illegible] (हस्ताक्षर)
14.12.20	पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। बहस दोनों सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 23.12.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
23.12.20	पत्रावली निर्णय हेतु पेशी से ली गयी। उभय पक्ष के बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। वादीगण ने ग्राम गिलवाड की प्रश्नगत भूमि को आवंटन से प्राप्त होना व पुश्तैनी सम्पत्ति के आधार पर [illegible] को प्राप्त सम्पत्ति को सजरा खानदान अनुसार वादीगण को उनकी वंशावली अनुसार हिस्से के खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में सजरा खानदान, 3.8.88 का इकरारनामा, 20.11.11 का पंचायती फैसला संलग्न किया है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में पूर्व से प्रश्नगत भूमि का वाद सं. 20/2007 अदम पैरवी में खारिज होने (17.3.11) व पैतृक भूमि नहीं होने का कथन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण की साक्ष्यों पर गौर किया गया। इकरारनामा दि. 3.8.88, पंचायती फैसला 20.11.11 रजिस्ट्री करवाने व पैसों के बदले में भूमि एक-दूसरे के नाम स्थानान्तरित करने का उल्लेख है। संलग्न जमाबंदियों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पत्ति है। इकरारनामा दि. 3.8.88 व [illegible] फैसला दि. 20.11.11 के क्रियान्वयन की [illegible] न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

अतः वाद वादीगण [illegible] के अन्तर्गत नहीं आने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दि. 23.12.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.01.06 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested